रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263459 CG-DL-E-29052025-263459

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

No. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISTHA 7, 1947

## पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

सा.का.नि. 347(अ).— अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे)(प्रथम संशोधन) नियम, 2024 का प्रारुप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 5 दिसंबर, 2024 में, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.753 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट होने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अविध की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 5 दिसंबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे;

अत: अब, केंद्रीय सरकारर, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (ढ) से खंड (भ) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 22, धारा 23 की उपधारा (1)

3482 GI/2025 (1)

और उपधारा (2), धारा 24 की उपधारा(2), धारा 27 की उपधारा (2) धारा 29 की उपधारा (2), धारा 32 की उपधारा (1), धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (रजिस्ट्रीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) संशोधन नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) संशोधन नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, उपनियम (1) के खंड (ग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार माप के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबिक 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के नियम 3 के अनुसार की जाएगी।"।

- 3. उक्त नियमों के नियम 4 में, "इन नियमों के नियम 7" शब्दों और अंक के स्थान पर "इन नियमों के नियम 5 के उपनियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- 4. उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (1) में, -
  - (क) खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
  - "(ड.) स्वामी या मास्टर द्वारा स्वतःअनुप्रमाणित विक्रय के लिखत की प्रति, जिसके अधीन जलयान का हक आवेदक को अंतरित किया गया था, जो अपेक्षा करता है कि यह उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत हो (पूर्वप्रयुक्त जलयान के लिए);"
  - (ख) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
  - "(च) स्वामी या मास्टर द्वारा स्वतःअनुप्रमाणित, सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र की प्रति, यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो या सर्वेक्षक द्वारा जारी किया गया सर्वेक्षण का अंनतिम प्रमाणपत्र:"।
- (5) उक्त नियमों के नियम 6 में, उपनियम (1) में, -
  - (क) "सर्वेक्षण प्रमाणपत्र"शब्दों के स्थान पर, "सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण का अंनतिम प्रमाणपत्र, निर्माता प्रमाणपत्र, विक्रय की लिखत जिसके द्वारा जलयान बेचा गया था, की प्रतियां" शब्द रखे जाएंगे ;
  - (ख) "और स्वामित्व की उदघोषणा" शब्दों के स्थान पर " जिसमें स्वामी या मास्टर द्वारा स्वतःअनुप्रमाणित सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र, निर्माता प्रमाणपत्र, विक्रय की लिखत जिसके द्वारा जलयान बेचा गया था. की प्रतियां और स्वामित्व की उदघोषणा होगी"शब्द रखे जाएंगे।
- 6. उक्त नियमों के नियम 8 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "(3) पहचान चिह्न को गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर हल्के रंग में या हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर गहरे रंग में नक्काशीदार या चिह्नित या वेल्ड किया जाएगा और इसका आकार निम्नानुसार होगा, अर्थात् :-
  - (क) 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले जलयानों के लिए चिह्न का आकार 200 मिमी. X 150 मिमी. (ऊंचाई Xचौड़ाई) से कम नहीं होगा तथा प्रत्येक अक्षर 25 मिमी. चौड़ा होगा;
  - (ख) 10 मीटर से 20 मीटर के बीच की लंबाई वाले जलयानों के लिए चिह्न का आकार 150 मिमी. X 120 मिमी. (ऊंचाई Xचौड़ाई) से कम नहीं होगा तथा प्रत्येक अक्षर 25 मिमी. चौड़ा होगा;

- (ग) 5 मीटर से 10 मीटर के बीच की लंबाई वाले जलयानों के लिए चिह्न का आकार 100 मिमी. X 75 मिमी. (ऊंचाई Xचौड़ाई) से कम नहीं होगा तथा प्रत्येक अक्षर 20 मिमी. चौड़ा होगा; और
- (घ) 5 मीटर से कम की लंबाई वाले जलयानों के लिए चिह्न का आकार 50 मिमी. X 40 मिमी. (ऊंचाई Xचौड़ाई) से कम नहीं होगा तथा प्रत्येक अक्षर 25 मिमी. चौड़ा होगा;"
- 7. उक्त नियमों की प्ररुप सं.2, क्रम सं. 9 में, -
  - (क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातु :-
  - "(घ) स्वामी या मास्टर द्वारा स्वतःअनुप्रमाणित, नए जलयानों के लिए निर्माता प्रमाणपत्र की प्रति,"।
  - (ख) खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
  - "(ड.) स्वामी या मास्टर द्वारा स्वतःअनुप्रमाणित, विक्रय लिखत की प्रति,( पूर्वप्रयुक्त जलयानों के लिए);"।
- (8) उक्त नियमों की प्ररुप सं.12, में, क्रम सं. 8 में, -
  - (क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
    - "(घ) स्वामी या मास्टर द्वारा स्वतःअनुप्रमाणित, नए जलयानों के लिए निर्माता प्रमाणपत्र की प्रति,"।
  - (ख) खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
    - "(ड.) स्वामी या मास्टर द्वारा स्वतःअनुप्रमाणित, विक्रय लिखत की प्रति,(पूर्वप्रयुक्त जलयानों के लिए);"।

[फा.सं. आईडबल्यूटी-11011/91/2021- आईडबल्यूटी (3)]

पी के रॉय, संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 7 जून, 2022 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 421(अ) तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

# MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

**G.S.R. 347(E).**—Whereas a draft of the Inland Vessels (Registration and other Technical Issues) (First Amendment) Rules, 2024 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 753 (E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5<sup>th</sup> December, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 5<sup>th</sup> December, 2024;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 21, section 22, sub-sections (1) and (2) of section 23, sub-section (2) of section 24, sub-section (2) of section 27, sub-section (2) of section 29, sub-section (1) of section 32, sub-section (2) of section 33 read with clauses (n) to (x) of sub-section (2) of section

106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Registration and other technical issues) Rules, 2022, namely:-

- **1.** (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Registration and other Technical Issues) Amendment Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Inland Vessels (Registration and other technical issues) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in clause (c) of sub-rule (1), the following explanation shall be inserted, namely: -
- "Explanation—For the purposes of this clause, gross tonnage of vessels of 24 meters or above shall be calculated according to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, whereas gross tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to rule 3 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987, as amended from time to time;".
- **3**. In rule 4 of the said rules, for the words and figure "Rule 7 of these Rules", the words, brackets and figures "sub-rule (1) of rule 5 of these rules" shall be substituted.
- 4. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1),-
- (a) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(e) copy of the instrument of sale, self-attested by the owner or master under which the title of the vessel was transferred to the applicant who requires it to be registered in his name (for second hand vessel);"
- (b) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -
  - "(f) copy of certificate of survey, self-attested by the owner or master if issued by the designated authority or the provisional certificate of survey, issued by the Surveyor;".
- 5. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (1),
  - (a) for the words "certificate of survey", the words "copies of the certificate of survey" shall be substituted;
  - (b) for the words "and the declaration of ownership", the words "self- attested by the owner or master, and the declaration of ownership" shall be substituted.
- 6. In rule 8 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
- "(3) The identification mark shall be carved or marked or welded in light colour on a dark background or in a dark colour on a light background and its size shall be as follows, namely:—
  - (a) for vessels of length more than 20 meters, the size of the mark shall not be less than 200mm x 150mm (height x breadth) with each letter measuring 25mm wide;
  - (b) for vessels of length between 10 metres and 20 meters, the size of the mark shall not be less than 150 X 120 mm (height x breadth) with each letter measuring 25mm wide;
  - (c) for vessels of length between 5 metres and 10 metres, the size of the mark shall not be less than 100mm X 75 mm (height x breadth) with each letter measuring 20 mm wide; and
  - (d) for vessels of length less than 5 metres, the size of the mark shall not be less than 50m x 40 mm height x breadth) with each letter measuring 15mm wide.".
- 7. In Form No. 2 of the said rules, in serial no 9,-
  - (a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-
    - "(d) copy of builder's certificate for new vessels, self-attested by the owner or master;".
  - (b) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: -
    - "(e) copy of instrument of sale, self-attested by the owner or master (for second hand vessels);".
- 8. In Form No. 12 of the said rules, in serial no 8,-
  - (a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

- "(d) copy of builder's certificate for new vessels, self-attested by the owner or master".
- (b) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(e) copy of instrument of sale, self-attested by the owner or master (for second hand vessels)".

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(3)]

P. K. ROY, Jt. Secy. (IWT-II)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7<sup>th</sup> June, 2022, *vide* notification number G.S.R. 421(E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2022.